

कार्यालय प्राचार्य  
शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ0ग0)

रजबंधा मैदान फोन नं. 0771-2222990, email:- gov dentalcollege@gmail.com

क्रमांक / 361 / जीडीसी / मेन्टे. / 2024

रायपुर दिनांक 17/01/24

कोटेशन सूचना  
**Quotation Notice**

विषय:- महाविद्यालय के मुख्य भवन हेतु ग्लो साईन बोर्ड तथा फ्लेक्स कार्य करवाने के संबंध में कोटेशन (दर) प्रस्तुत किये जाने बाबत।

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि महाविद्यालय के मुख्य भवन हेतु ग्लो साईन बोर्ड, फ्लेक्स एवं LED Letter बोर्ड बनवाया जाना है। उक्त कार्य हेतु कोटेशन (दर) आमंत्रित की जाती है। निम्नलिखित प्रारूप ही कोटेशन प्रस्तुत करे:-

क्र.	सामग्री का नाम	अनुमानित मात्रा	यूनिट	मेक एवं प्रोडक्ट कोड	ईकाई दर रु. में	जी.एस. टी-%	ईकाई दर जी. एस.टी. सहित	कुल राशि
01	ग्लो साईन बोर्ड 30X4 25X4 फ्लेक्स LED Letter							

अतः उपरोक्तानुसार कोटेशन दर मुहरबंद लिफाफे में दिनांक 23.01.2024 तक शाम 5:00 बजे तक जमा करने की व्यवस्था करें। विलंब से प्राप्त कोटेशन मान्य नहीं की जावेगी।

नियम एवं शर्त:-

- कोटेशन दर के साथ जी.एस.टी. या कोई अन्य टैक्स हो तो स्पष्ट उल्लेख करे। दर अंको एवं शब्दों दोनों में अंकित की जानी चाहिये।
- कृपया जी.एस.टी. पंजीकरण विवरण प्रस्तुत करे।
- किसी भी फर्म की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
- उपरोक्त कार्य पूर्ण कर लगवाये जाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। कार्य के दौरान किसी प्रकार की जानमाल की हानि होने पर समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।
- आदेश जारी होने के पश्चात् 07 दिवस के भीतर ही सामग्रीयां प्रदाय किया जाना अनिवार्य है अन्यथा आदेश निरस्त किया जा सकता है।
- लिफाफे के उपर कोटेशन नम्बर एवं विषय का नाम लिखना चाहिए।
- महाविद्यालय में लगाने वाले उक्त फ्लेक्स बनाये जाने हेतु निरीक्षण कर अपना कोटेशन दर प्रस्तुत करें।
- प्रस्तुत किये गये कोटेशन दर एक वर्ष के लिये मान्य होगी।
- राज्य शासन या उसके किसी भी विभाग द्वारा किसी भी फर्म को काली सूची (ब्लैक लिस्टेड) में डाली जाने वाली फर्म मान्य नहीं होगी। उक्त संबंध में उन्हे शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

UP

9. राज्य शासन या उसके किसी भी विभाग द्वारा किसी भी फर्म को काली सूची (ब्लैक लिस्टेड) में डाली जाने वाली फर्म मान्य नहीं होगी। उक्त संबंध में उन्हे शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. उपरोक्त कार्य अत्यधिक मानक और बेहतर गुणवत्ता का होना चाहिये।
11. दर स्वीकृति करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कय समिति की होगी जिसका कारण बताने के लिये कय समिति बाध्य नहीं होगा।

प्राचार्य  
शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर

17/01/2024